



विषयक,

लाल मणि यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 09 फरवरी, 2026

विषय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-जौनपुर, अलीगढ़ एवं मथुरा की 29 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4209/10/छ:/विविध/2017-18 दिनांक 08.01.2026, पत्र संख्या-4154/10/छ:/विविध/2017-18 दिनांक 05.01.2026 एवं पत्र संख्या-4252/10/छ:/विविध/2017-18 दिनांक 05.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत **जनपद-जौनपुर, अलीगढ़ एवं मथुरा** की विभिन्न निकायों की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड, सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग **कुल 29 परियोजनाओं**, जिसका विवरण तालिका में दिया गया है, हेतु कुल **रु० 811.33 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् **रु० 405.665 लाख (रुपये चार करोड़ पांच लाख छच्छठ हजार पांच सौ मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

जन-पद क्र०	क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) की स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6	7
1	1	जौनपुर	न०पं०, बदलापुर	वार्ड नम्बर -05 में नहर पिच रोड से धर्मा मैरेज लॉन होते हुए हंकारपुर पिच रोड तक इण्टरलाकिंग सडक निर्माण का कार्य।	41.99	20.995
	2	जौनपुर	न०पं०, बदलापुर	वार्ड नम्बर -07 में लालमणि के घर से राजेश तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग सडक निर्माण का कार्य।	34.06	17.03
	3	जौनपुर	न०पं०, बदलापुर	वार्ड नम्बर -05 में बदलापुरलखनऊ पिच - रोड से धोबी बस्ती होते हुए साहब लाल के घर तक सीसी रोड निर्माण का कार्य।	38.34	19.17
	4	जौनपुर	न०पं०, खेतासराय	वार्ड नम्बर 9 गोलाबाजार में चिन्दू मौर्या के मकान से गुड्डु प्रजापति के इण्टरलाकिंग सीसी/रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	30.15	15.075
	5	जौनपुर	न०पं०,	वार्ड नम्बर 9 गोलाबाजार में आशिक अली के	45.37	22.685

			खेतासराय	घर से अनिल प्रजापति के घर से होते हुये मनीष सोनी के घर तक इंटरलाकिंगसीसी / रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।		
	6	जौनपुर	न0पं0, खेतासराय	वार्ड नम्बर 9 गोलाबाजार में कन्हैया सेठ के घर से अनिल प्रजापति के घर तक इंटरलाकिंगसीसी रोड एवं नाली निर्माण का / कार्य।	39.75	19.875
	7	जौनपुर	न0पं0, गौराबाद- शाहपुर	वार्ड नम्बर 14 दरोगा कहार के घर से श्री गोपाल मिश्रा के घर तक सीसी रोड निर्माण का कार्य।	25.34	12.67
	8	जौनपुर	न0प0पा0, जौनपुर	नगर पालिका परिषद जौनपुर के वार्ड उमरपुर के मोहल्ला सहकारी कालोनी पूर्वी में मिर्जापुर मार्ग से अश्वनी उपाध्याय व राजेश गुप्ता के मकान होते हुए श्यामधर मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	24.20	12.1
	9	जौनपुर	न0प0पा0, जौनपुर	नगर पालिका परिषद जौनपुर के वार्ड उमरपुर के मोहल्ला कालीकुत्ती में विजय प्रताप सिंह एडवोकेट के मकान से अरूण कुमार सिंह के मकान होते हुए वेद मनोज सिंह मास्टर के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	21.38	10.69
	10	जौनपुर	न0प0पा0, जौनपुर	नगर पालिका परिषद जौनपुर के वार्ड हरखपुर में मोहल्ला हसन पीजी कालेज के बगल से सीताराम, राजाराम सेठ व विनय बरौतिया के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण।	25.74	12.87
	11	जौनपुर	न0प0पा0, जौनपुर	नगर पालिका परिषद जौनपुर के वार्ड ताड़तला में चहारसू चौराहा से चौरामाता मंदिर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	39.81	19.905
	12	जौनपुर	न0प0पा0, जौनपुर	नगर पालिका परिषद जौनपुर के वार्ड मीरपुर में प्राथमिक विद्यालय विशेषरपुर से ऋषिकेश राय के मकान होते हुए बाबूराम के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	15.12	7.56
	13	जौनपुर	न0प0पा0, जौनपुर	नगर पालिका परिषद जौनपुर के वार्ड नईगंज में रौनक जनरल स्टोर्स से लोहिया आयुर्वेद हास्पिटल होते हुए गुप्ता आरा मशीन तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	53.48	26.74
	14	जौनपुर	न0प0पा0, जौनपुर	नगर पालिका परिषद जौनपुर के वार्ड नम्बर वाजिदपुर दक्षिणी में कुददूपुर मार्ग से राम सूरत मोर्य के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	13.25	6.625
				योग	447.98	223.99
2	1	मथुरा	न0पं0, गोकुल	वार्ड न 03 में रामलीला मैदान के गेट से अशोक अधिकारी व लिंक गली की ओर सी० सी० व नाली निर्माण कार्य।	58.40	29.2
	2	मथुरा	न0पं0, गोकुल	वार्ड न 03 में अली बाबा से चन्दन बघेल के मकान की ओर सीसी व नाली निर्माण कार्य।	56.61	28.305
	3	मथुरा	न0नि0, मथुरा- वनवृन्दा	नगर निगम मथुरा वृन्दावन के वार्ड सं-32 गिराज वाटिका अन्तर्गत धमेन्द्र कुमार के मकान से कोयला अलीपुर रोड तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य।	39.26	19.63
	4	मथुरा	न0नि0,	नगर निगम मथुरावृन्दावन के वार्ड संख्या- 28	29.99	14.995

			मथुरा- वनवृन्दा	औरंगाबाद द्वितीय में श्रीराधा कृष्ण सिटी में मां चामुण्डा बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से चौखे लाल सैनी के प्लाट तक सीसी सड़क व नाली निर्माण कार्य।		
	5	मथुरा	न 0प0पा0 कोसीकलां	वार्ड नम्बर 5 व 13 नम्बर नंदगांव रोड स्थित गडरिया कालोनी में महीपाल के मकान से लेकर राम प्रसाद के मकान तक एवं चौखेलाल से रामपुल के मकान तक गली में सीसी रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	15.53	7.765
	6	मथुरा	न 0प0पा0 कोसीकलां	वार्ड नम्बर 13 नन्द गांव रोड पर कृष्णा नाम कालोनी में रिठौरा वाले के प्लाट से लेकर पप्पू फौजी तक एवं बब्ली से कुंदन के मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	19.61	9.805
	7	मथुरा	न 0प0पा0 कोसीकलां	वार्ड नम्बर 2 बैंक कालोनी में पप्पूनारायण से लेकर चौखे लाल के लक्ष्मी/मकान तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	11.00	5.5
	8	मथुरा	न 0प0पा0 कोसीकलां	वार्ड नम्बर 2 बैंक कालोनी में एनएच पैलेसगिरिराज ढाबा के बराबर से लेकर कुंवर / राजन होते सूरज पाल सिंह व याकूब मास्टर तक विभिन्न गलियों में सीसी रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	32.15	16.075
	9	मथुरा	न 0प0पा0 कोसीकलां	वार्ड नम्बर 9 बठैन रोड पर रामू वाली गली में एवं लक्ष्मण सिंह से लेकर समता होते धर्मवीर फौजदार व नोवहत तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	15.62	7.81
				योग	278.17	139.085
3	1	अलीगढ़	न0नि0, अलीगढ़	आसना वार्ड नम्बर 23 मुकेश प्रधान के घर से श्यामवरण के घर तक नाली व सड़क निर्माण कार्य।	14.61	7.305
	2	अलीगढ़	न0नि0, अलीगढ़	आसना वार्ड नम्बर 23 बसंत लाल शर्मा के मकान से राकेश शर्मा के मकान तक सड़क कार्य।	7.36	3.68
	3	अलीगढ़	न0नि0, अलीगढ़	आसना वार्ड नम्बर बर 23 में प्रेमपाल के मकान से लक्ष्मण सिंह के मकान तक सड़क कार्य।	10.31	5.155
	4	अलीगढ़	न0पं0, छर्चा	नगर पंचायत छर्चा में वार्ड संख्या 5 के मौ० बालाजी पुरम में लाला सज्जन की दुकान से पीयूष माहेश्वरी के प्लॉट तक एवं लिंक गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	21.02	10.51
	5	अलीगढ़	न0पं0, छर्चा	नगर पंचायत छर्चा में वार्ड संख्या 5 के मौ० संजय नगर में साहिल रावल के घर से चौ० निहाल सिंह इन्टर कॉलेज तक एवं बादशाह के घर, ममता यादव के घर वाली लिंक गलियों में नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	14.99	7.495
	6	अलीगढ़	न0पं0, छर्चा	नगर पंचायत छर्चा में वार्ड संख्या 5 के मौ० बालाजी पुरम में श्री होटल से रुद्र कॉलेज की बॉउन्ड्री तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	16.89	8.445
				योग	85.18	42.59
				कुल योग	811.33	405.665

(रूपये चार करोड़ पांच लाख छछठ हजार पांच सौ मात्र)

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपर मुख्य सचिव/ सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।
16. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा की होगी।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखा शीर्षक 2217040510400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-9-265-X-2025-26, दिनांक 06 फरवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, **जौनपुर, मथुरा एवं अलीगढ़।**
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।